

16/09/22

पत्रावली पेश हुई । वादी एवं वादी वकील  
अनुपस्थित । न्यायालय में बार-बार आवाज  
लगाने के बावजूद सांभ 5:00 बजे तक  
वादी एवं वादी वकील में से कोई उपस्थित  
नहीं हुआ ।

मूलवाद अफम पेशी। दाजरी में खारिज हो  
चुका है। मूलवाद का निश्चयन हो जाये  
सुन जाओ पत्र 212 RT Act का कोई  
आचार्य नहीं रहता है।

अनुसू पाठ पत्र 212 RT Act की  
काप वही ड्रॉप की जाती है । पत्रावली

# FORM NO III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकदमा

बनाम

नं

सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<p>प्रेसन अमर डैक्टर रजिस्टर के कुम सी जाँच । सैलमन मूलवाह है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] 500</p>	